संशोधित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांक: 5532 / 33-1, दिनांक, लखीमपुर-खीरी, ~~जनवरी~~ मार्च / 12 / 2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
विश्व बैंक परियोजना
लोक निर्माण विभाग
96 महात्मा गाँधी मार्ग
लखनऊ।

विषयः— **विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0—93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.0000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098हे0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098 हे0 वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5890 वृक्षों (लखीमपुर वन प्रभाग में 5425 वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 565 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः— *भारत सरकार पर्यावरण वन एवं परिवर्तन का पत्रांक संख्या 8बी/यू0पी0/06/109/2018/एफ0सी0/520 दिनांक 14.11.2017 पर मुख्य वन संरक्षक/नॉडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पृष्ठांकन पत्रांक 1408/11—सी FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक 21.11.2017* व आपका मेल संदेश दि. 9.3.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो विशेष सचिव (वन) शासन उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित एवं अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करें। पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि निम्न प्रकार एड—हॉक कैम्पा भारत सरकार नई दिल्ली के बैंक खाता 520101263743736 में e-payment Portal के माध्यम से जमा करके ई—रसीद की छायाप्रति तथा भारत सरकार के संदर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुसार अभिलेख तीन प्रतियों में कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1.	संरक्षित क्षेत्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	10967815.00
2.	आरक्षित क्षेत्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	263056.00
3.	5425 बाधक वृक्षों का छपान हेतु धनराशि @10/—	54250.00
4.	भूमि का मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि प्रस्ताव में संलग्न निर्धारित मूल्य के अनुसार—	39425694.00
	योग—	**50710815.00**

भवदीय,

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग।

पत्रांक :5532/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को संदर्भित पत्र केक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल उ0प्र0 लखनऊ।
2— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग।

Mohit_Kumar

011

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर

पत्रांक 1258 / 14 शाहजहांपुर दिनांक 23/11/ 2017

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
विश्व बैंक परियोजना
निर्माण भवन–96
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

विषय :– विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला–शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 471.00 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 है0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49 से 59 तक 8.00 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित 5890 वृक्षो (लखीमपुर वन प्रभाग में 5425 वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 465 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पंत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/590 दिनांक 14–11–2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो विशेष सचिव वन उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं आपको तथा इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत है, के कम में दी गयी सैद्वान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के आधीन प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या से तत्काल कार्यालय को अवगत करायें :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 8.00 है0 (8 X 2 = 16.00 hac.) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।
2. **(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारितं धनराशि कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।
   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आंन लाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें ज़मा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जायें। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्वता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगें प्रत्येक स्तम्भ के आगें Forward एवं पीछें Backward उनकी दशा में Bearing भी लिखनी होगी।

0/c

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्वता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़के के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा विषयक मार्ग पर कोई कार्य नही किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लघंन हुआ है।

8. राज्य सरकार आंन लाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर पर तकनीकी रूप से अपलोड नही हो पायें है। उक्त दस्तावेज आंन लाईन अपडेट करते हुये इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।

उक्त के कम में बिन्दु सं0–1 व बिन्दु सं0–2 (क) के कम में वांछित धनराशि की शर्तो की अनुपालना हेतु प्रतिपूर्ति पौधारोपण, निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के पक्ष में ई–पोर्टल मॉडल के माध्यम से धनराशि जमा कराते हुये पृथक पृथक प्राप्ति रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें। जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

कमसं0	शर्त सं0	शर्त का विवरण	धनराशि
1	01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 8.00 है0 (8 X 2 = 16.00 hac.) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि	3657174.00
2	02 (क)	प्रस्तावित वनभूमि 8.00 है0 का शुद्व वर्तमान मूल्य @ 6.26 lakh प्रति है0	5008000.00
		योग	**8665174.00**

भवदीय

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर

पत्रांक 1258 / उक्तदिनाकिंत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0 वा0 बरेली वृत्त, बरेली।

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर